

अध्याय 1  
विहंगावलोकन



## अध्याय 1: विहंगावलोकन

### 1.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के कुछ विभागों और उनके स्वायत्त निकायों के निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा में उद्धृत मामले शामिल हैं। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के समक्ष रखना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के साथ-साथ ऐसी नीतियों एवं निर्देशों के निर्माण में सक्षम होने की उम्मीद है, जिससे बेहतर प्रशासन में योगदान देने वाले संगठनों के वित्तीय प्रबंधन और कुशल होंगे।

प्रतिवेदन को निम्नानुसार छः अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

**अध्याय 1** में लेखापरीक्षिती विभागों की रूपरेखा के साथ विगत पाँच वर्षों के व्यय की संक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन, विभिन्न लेखापरीक्षा परिणामों यथा निरीक्षण प्रतिवेदन, पृथक अवलोकन/कंडिकाएँ, निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.), विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.अ.ले.), लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई आदि एवं इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन हैं।

**अध्याय 2** में '74<sup>वें</sup> संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

**अध्याय 3** में 'राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था के प्रबंधन' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

**अध्याय 4** में 'हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

**अध्याय 5** में 'झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

**अध्याय 6** में अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित तीन पृथक अवलोकन/ कण्डिकाएँ शामिल हैं।

### 1.2 लेखापरीक्षिती विभागों एवं लेखापरीक्षा क्षेत्र की रूपरेखा

1. बजट के अनुसार, झारखण्ड सरकार ने अपने विभिन्न विभागों से संबंधित 60 अनुदानों (2020-21 के दौरान) के अंतर्गत निधियाँ जारी की। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के अंतर्गत लेखापरीक्षा क्षेत्र में 60 अनुदानों से संबंधित

विभिन्न स्तरों की 5,797 इकाइयाँ शामिल हैं। झारखण्ड सरकार में 34 विभाग हैं जो प्रधान महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आते हैं। इनमें 76 निकाय/प्राधिकरण भी शामिल हैं, जो या तो काफी हद तक राज्य की संचित निधि से वित्तपोषित हैं अथवा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिनकी लेखापरीक्षा सरकार द्वारा सौंपी गई है।

II. इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में झारखण्ड सरकार की सरकारी कंपनियाँ और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ हैं। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई) को वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को चलाने तथा राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई) में वैसी सरकारी कंपनियाँ जिनमें झारखण्ड सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। झारखण्ड में कोई भी सांविधिक निगम नहीं है।

झारखण्ड में 31 मार्च 2021 को 31 एसपीएसई (तीन निष्क्रिय एसपीएसई सहित) थे। नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक, कार्यशील एसपीएसई ने ₹ 5,103.43 करोड़ रुपये, अर्थात् 2019-20<sup>1</sup> की तुलना में 2020-21 में 0.09 प्रतिशत की कमी, का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2020-21 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 3,17,079 करोड़) के 1.61 प्रतिशत के बराबर था। नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यशील एसपीएसई को ₹ 2,649.97 करोड़ की हानि हुई। यहाँ तीन निष्क्रिय<sup>2</sup> एसपीएसई हैं जिनमें पूँजी (₹ 1.10 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 50.41 करोड़) के साथ ₹ 51.51 करोड़ का निवेश है जो अक्रियाशील है क्योंकि ये एसपीएसई राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, दो एसपीएसई को खत्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत उनके मंडलों<sup>3</sup> द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

प्रधान महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विभागों और स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों/कंपनियों की सूची **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाई गई है।

<sup>1</sup> दिसंबर 2021 तक के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कार्यरत एसपीएसई का कारोबार ₹ 5,626.05 करोड़ था।

<sup>2</sup> कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) एवं झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)

<sup>3</sup> केईएल: 5<sup>वाँ</sup> एजीएम (15 सितंबर 2017), जेसीएल: 15<sup>वाँ</sup> बैठक (15 मई 2016) और 16<sup>वाँ</sup> बैठक (2 फरवरी 2018)

प्रधान महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान प्रमुख विभागों में व्यय की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1: ₹ 100 करोड़ से अधिक वार्षिक व्यय वाले विभागों के व्यय का रुझान  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	वित्त	10,483.99	13,626.92	14,003.18	15,660.37	15,686.99
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास	6,672.94	6,490.86	6,392.84	7,864.45	8,304.41
3	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	3,993.96	5,129.55	5,632.55	6,502.39	7,216.87
4	ऊर्जा	3,017.15	6,345.77	4,155.2	3,148.42	6,846.78
5	ग्रामीण विकास	4,000.74	3,836.63	4,708.14	4,868.98	6,018.08
6	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	2,468.93	2,847.19	3,382.55	3,128.30	4,061.85
7	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	2,531.64	2,539.69	2,582.92	3,912.46	3,777.78
8	पथ निर्माण	4,521.03	5,328.10	4,098.29	3,921.38	3,491.79
9	शहरी विकास एवं आवास	2,878.86	3,028.35	1,986.42	2,559.20	2,912.09
10	पंचायती राज	1,674.67	1,578.46	875.27	2,482.11	1,857.49
11	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	1,331.88	1,681.00	1,583.84	1,918.40	1,665.10
12	ग्रामीण कार्य	3,660.17	2,737.81	4,323.44	2,525.28	1,663.49
13	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	2,245.54	2,022.42	1,667.69	2,611.77	1,646.90
14	जल संसाधन	1,840.13	2,094.91	1,883.63	1,722.65	1,421.55
15	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	1,171.29	944.16	1,030.86	1,134.72	1,380.71
16	पेयजल एवं स्वच्छता	1,526.82	2,055.91	1,765.30	1,180.18	1,278.86
17	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,581.35	1,357.11	1,547.94	1,378.32	1,188.34
18	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	496.04	591.21	525.07	714.44	725.80
19	विधि	308.34	377.33	440.66	458.52	446.42
20	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	194.93	168.22	179.84	161.24	294.26
21	भवन निर्माण	540.41	637.05	496.32	549.55	256.68
22	उद्योग	297.64	248.78	314.59	276.47	220.09
23	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले	207.66	217.08	249.09	212.43	179.90

क्र. सं.	विभाग का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
24	सूचना एवं जन-संपर्क	139.05	194.75	170.77	201.18	130.79
25	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-प्रशासन	150.38	74.25	145.48	153.57	122.51
26	योजना एवं विकास	273.12	346.53	559.87	270.39	108.25
27	अन्य <sup>4</sup>	249.72	267.25	331.00	580.47	359.41
<b>कुल</b>		<b>58,458.38</b>	<b>66,767.29</b>	<b>65,032.75</b>	<b>70,097.64</b>	<b>73,263.19</b>

स्रोत: 2016-17 से 2020-21 के विनियोग लेखे

### 1.3 लेखापरीक्षा-प्राधिकार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से उद्भूत है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीपीसी अधिनियम की धारा<sup>5</sup> 13 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है जिनकी लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (2), 19 (3)<sup>6</sup> और 20 (1)<sup>7</sup> के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा समुचित वित्तपोषित अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीपीसी अधिनियम की धारा<sup>8</sup> 14 के अंतर्गत करती है।

पुनश्च, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों के, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाली किसी अन्य कंपनी का लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा के लिए, सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रासंगिक प्रावधानों

<sup>4</sup> अन्य में (i) कैबिनेट निर्वाचन विभाग (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग तथा (iii) कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता विभाग शामिल हैं।

<sup>5</sup> (i) राज्य की संचित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं सार्वजनिक खातों से संबंधित सभी लेनदेन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि खाते, बैलेंस-शीट तथा अन्य सहायक खातों की लेखापरीक्षा।

<sup>6</sup> संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार अथवा जनहित में राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके द्वारा निर्मित विधि के तहत स्थापित निगमों (जो कंपनियां नहीं हैं) के खातों की लेखापरीक्षा।

<sup>7</sup> नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा सरकार के बीच तय नियमों एवं शर्तों पर राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा।

<sup>8</sup> कई गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त / अर्ध-स्वायत्त निकाय जो रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता का प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण आदि की योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित हैं तथा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं उनकी लेखापरीक्षा अनुच्छेद 14 के तहत होती है।

द्वारा शासित होती है। आगे, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो, धारा 139 की उप-धारा 5 या उप-धारा 7 के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा कर सकती है। ऐसी लेखापरीक्षा पर डीपीसी अधिनियम की धारा 19अ के प्रावधान लागू होंगे। 31 मार्च 2014 तक के वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होता रहेगा।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 तथा लेखापरीक्षा मानकों में वर्णित हैं।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

जैसा विहित है, सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) या 139(7) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143(5) के तहत कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के तहत प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर इन वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है।

### 1.4 लेखापरीक्षा-योजना एवं संचालन

निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा/पृथक अनुपालन लेखापरीक्षाएँ वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (ए.ए.पी.) के अनुरूप की जाती हैं। पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन शीर्ष इकाइयों, लेखापरीक्षा इकाइयों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें उनके वित्तीय महत्व के मामले, सामाजिक प्रासंगिकता, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ, पूर्व में दुर्विनियोग, गबन, कपट इत्यादि के मामलों के साथ-साथ पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परिणाम शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त जवाब के आधार पर लेखापरीक्षा अवलोकनों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पृथक अवलोकनों / कंडिकाओं के रूप में

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए आगे परिष्कृत किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा/ विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर तैयार की जाती हैं। मुद्दों का चयन उपरोक्त सादृश्य के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु सामग्रियों को अंतिम रूप देते समय विभागों द्वारा प्रस्तुत औपचारिक जवाबों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा '74<sup>वें</sup> संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, 'राँची शहर में मल एवं जल-निकास व्यवस्था के प्रबंधन' तथा 'हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण' (शहरी विकास एवं आवास विभाग) पर दो अनुपालन लेखापरीक्षाएं तथा 12 विभागों के अंतर्गत 112 इकाइयों का पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा 'सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण' पर भी एक अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

## 1.5 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

### *निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया*

लेन-देन में नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की जाँच तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों के रखरखाव में नियमितता के सत्यापन के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा करता है। इन लेखापरीक्षाओं के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.), निरीक्षित कार्यालय के प्रमुखों को एवं इसकी प्रतियाँ अगले उच्च अधिकारियों को जारी की जाती हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ एवं अन्य बिंदु, जो मौके पर निस्तारित नहीं किये जा सके, निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किए जाते हैं। गंभीर अनियमितताओं को प्रधान महालेखाकार के कार्यालय द्वारा सरकार के संज्ञान में लाया जाता है।

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 के अनुसार, लेखापरीक्षित इकाई के प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर इसका जवाब भेजेंगे। प्रधान महालेखाकार द्वारा किसी बड़ी अनियमितता की सूचना पर सरकार प्रथम दृष्टया तथ्यों का सत्यापन करेगी एवं सूचना प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर तथ्यों की पुष्टि या खंडन करते हुए प्रधान महालेखाकार को



प्रारंभिक प्रतिवेदन भेजेगी। प्रारंभिक प्रतिवेदन में सरकार द्वारा गंभीर अनियमितता<sup>9</sup> के तथ्य का खंडन नहीं किए जाने की दशा में सरकार प्रारंभिक प्रतिवेदन के दो महीनों के भीतर इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई तथा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को बताते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार को भेजेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित प्रतिक्रिया हेतु झारखण्ड सरकार के वित्त-विभाग ने ससमय सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभागों को दिशा-निर्देश भी जारी किया।

विचाराधीन निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की निगरानी एवं उनके निपटान को सुलभ बनाने हेतु संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव को निरीक्षण प्रतिवेदनों को लंबित दिखाती हुई एक छः माही प्रतिवेदन भेजी जाती है।

मार्च 2021 तक 29 विभागों को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 4,937 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 33,654 कण्डिकाएँ उपयुक्त अनुपालन के अभाव में 31 मार्च 2022 को लंबित थीं। इनमें से 3,698 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 26,615 कण्डिकाओं के प्रारंभिक जवाब भी प्राप्त नहीं हुए थे।

**तालिका 1.2: 31 मार्च 2022 को (31 मार्च 2021 तक निर्गत) लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाएँ**

क्र.सं.	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	2020-21	148	1,365
2	1 वर्ष से 3 वर्ष	722	5,509
3	3 वर्ष से 5 वर्ष	1,343	7,190
4	5 वर्ष से अधिक	2,724	19,590

प्रधान सचिव/सचिव या/एवं प्रशासनिक विभागों के किसी नोडल अधिकारी तथा लेखापरीक्षा के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी लेखापरीक्षा समिति पारस्परिक सहूलियत के आधार पर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/ कंडिकाओं के शीघ्र निपटान हेतु

<sup>9</sup> गंभीर अनियमितता का अर्थ है (अ) संदिग्ध सामग्री धोखाधड़ी या मिलीभगत या भ्रष्टाचार का एक मामला जो लेखापरीक्षा में सामने आया हो, अथवा (ब) गंभीर प्रकृति की अनियमितता जिसमें सार्वजनिक धन, विशेष रूप से कुप्रबंधन, हानि, बर्बादी, व्यर्थ व्यय या राजस्व की हानि, गंभीर खराबी/आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन आदि शामिल हैं।

समय-समय पर बैठक करती है। हालाँकि, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान किसी भी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई।

*यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को (i) निर्धारित समय-सारणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, (ii) हानियों/बकाया-अग्रिमों/अधिक भुगतानों आदि की समयबद्ध तरीके से वसूली तथा (iii) प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक के आयोजन के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।*

### 1.6 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 निर्धारित करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर समर्पित की जानी चाहिए।

प्रारूप कण्डिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ-साथ वित्त विभाग को अग्रेषित किए जाते हैं। उनके व्यक्तिगत ध्यान में यह भी लाया जाता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जो विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, में इन कंडिकाओं के शामिल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप कण्डिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ, संबंधित विभागों तथा वित्त विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को उनके नाम से संबोधित कर आधिकारिक/अर्ध-सरकारी पत्रों के माध्यम से जनवरी 2022 एवं मई 2022 के बीच अग्रेषित किए गए थे। संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सात पृथक/विस्तृत अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा कण्डिकाओं में से चार पर जवाब दिए गए थे। विभाग/लेखापरीक्षित इकाइयों की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ प्रारंभिक लेखापरीक्षा पृच्छाओं के जवाब, जहाँ भी प्राप्त हुए, प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से समाहित किए गए हैं।

## लेखाओं के लेखापरीक्षा की स्थिति

### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2020-21 की लेखाओं को सभी एसपीएसई द्वारा 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दायरे में आने वाले 31 (08 ऊर्जा क्षेत्र एवं 23 गैर-ऊर्जा क्षेत्र) एसपीएसई में से तीन<sup>10</sup> एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 की अपनी लेखाएँ 31 दिसंबर 2021 तक प्रस्तुत कीं। इनमें से केवल एक एसपीएसई ने 30 सितंबर 2021 को या उससे पहले अपनी लेखाएँ जमा की थी तथा दो एसपीएसई ने 01 अक्टूबर 2021 एवं 31 दिसंबर 2021 के बीच अपनी लेखाएँ, लेखापरीक्षा के लिए जमा की।

### एसपीएसई द्वारा लेखाएँ तैयार करने में समयबद्ध

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए अनुवर्ती वर्ष के 30 सितंबर तक एसपीएसई द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3: कार्यरत एसपीएसई द्वारा लेखाओं की प्रस्तुतीकरण से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	ब्यौरे	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	एसपीएसई की संख्या	27	29	30	31	31
2	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखाओं की संख्या	32	28	21	23	27
3	चालू वर्ष के लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले एसपीएसई की संख्या	4	4	3	1	3
4	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	28	24	18	22	24
5	बकाया लेखाओं वाले एसपीएसई की संख्या	23	25	27	30	28
6	बकाया लेखाओं की संख्या	69	68	77	84	88
7	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 08 वर्ष	1 से 09 वर्ष	1 से 09 वर्ष	1 से 10 वर्ष	1 से 11 वर्ष

स्रोत: जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान प्राप्त एसपीएसई के लेखाओं के आधार पर

01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान, एसपीएसई ने 27 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया था जिनमें 2020-21 की तीन लेखाएँ और पिछले वर्षों की 24 लेखाएँ शामिल थीं। इस प्रकार, 28 एसपीएसई की 88 लेखाएँ बकाया थीं। प्रशासनिक विभागों पर इन संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करने

<sup>10</sup> (i) झारखण्ड पुलिस आवास निगम लिमिटेड; (ii) झारबिहार कोलियरी लिमिटेड; एवं (iii) पतरातू एनर्जी लिमिटेड

एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन एसपीएसई द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा अपनाया जाए। बकाया लेखाओं के बारे में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को अवगत कराया जाता है।

वर्ष 2020-21 के साथ-साथ पिछले वर्षों की लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा 28 एसपीएसई के 88 लेखाओं की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि क्या निवेश एवं किए गए व्यय का उचित लेखा संधारण किया गया था तथा निवेश के उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। अतः इन एसपीएसई में सरकारी निवेश, उस सीमा तक, राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहे।

### 1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

**लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा:**

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकारी नियमों की प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उद्धृत सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रशासनिक विभागों द्वारा एकतरफा कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा इनको जाँच के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँचित कृत-कार्यवाइ टिप्पणी (कृ.का.टि.) विभाग को प्रस्तुत करना था, जिसमें उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रस्ताव को दर्शाया गया हो। सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 215 लंबित कंडिकाएँ हैं। लोक लेखा समिति ने इनमें से 73 कंडिकाओं को परिचर्चा हेतु लिया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09 की कंडिका 1.3.6.1 के संबंध में एक अनुशंसा की। हालांकि, इस उप-कंडिका पर कोई कृ.का.टि नहीं प्राप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त, 2000-01 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभागों पर छोड़े गए थे, में 201 लंबित कंडिकाएँ थीं, जिनमें से 94 कंडिकाएँ लोक लेखा समिति द्वारा परिचर्चा के लिए गए थे। इसके विरुद्ध, लोक लेखा समिति ने सात कंडिकाओं तथा आठ उप-कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की थीं, जिनमें से दो कंडिकाओं और छह उप-कंडिकाओं के संबंध में कृ.का.टि प्राप्त हुई थी, जैसा कि तालिका 1.4 में वर्णित है:

तालिका 1.4: लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा-कंडिकाओं पर परिचर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)	वर्ष 2008-09 से 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)
लंबित लेखापरीक्षा-कंडिकाओं की संख्या	201	215
लो. ले. स. द्वारा परिचर्चा के लिए ली गई	94	73
लो. ले. स. द्वारा परिचर्चा के लिए नहीं ली गई	107	142
लो. ले. स. द्वारा की गई अनुशंसाएँ	07 कंडिकाएं एवं 08 उप - कंडिकाएं	01 उप-कंडिका
प्राप्त कृ.का.टि.	02 कंडिकाएं एवं 06 उप - कंडिकाएं	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	02 कंडिकाएं एवं 06 उप - कंडिकाएं	शून्य

### सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर परिचर्चा

अगस्त 2018 में आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं की लंबितता से सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) को अवगत कराया गया था। इसके अतिरिक्त, कोपू ने अपनी तीन बैठकों (2018-19 में) में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2008-09, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 से संबंधित पाँच कंडिकाओं पर परिचर्चा किया; दो बैठकों (2019-20 में) में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2005-06, 2008-09, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 से संबंधित सात कंडिकाओं पर परिचर्चा किया; तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2007-08, 2008-09 एवं 2011-12 से संबंधित तीन कंडिकाओं पर 2020-21 में चर्चा की गई थी।

### लोक लेखा समिति /कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के पाँच कोपू प्रतिवेदन, जो 2013-21 के दौरान राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए थे, में चार विभागों अर्थात् (i) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; (ii) खान एवं भूतत्व; (iii) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन; तथा (iv) उद्योग से संबंधित कंडिकाओं पर नौ अनुसंशाओं के विरुद्ध राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों(एसपीएसई) से तब से कोई कृ.का.टि प्राप्त नहीं हुए थे।

### 1.8 इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिका, तीन विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं एवं अनुपालन लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न तीन पृथक अवलोकन/कंडिकाएँ निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण अवलोकनों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

### निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

#### 74<sup>वें</sup> संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता

'74<sup>वें</sup> संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' पर 2016-17 से 2020-21 की अवधि को आच्छादित करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिससे अधोलिखित अवलोकन सामने आए:

15 श.स्था.नि. में 18 से 50 महीने से अधिक समय से चुनाव लंबित थे और प्रशासक या विशेष अधिकारी इन श.स्था.नि. के कार्यों का निष्पादन कर रहे थे।

(कंडिका 2.2.2)

दो नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में स्थायी समिति का गठन ही नहीं किया गया था जबकि चार चयनित श.स्था.नि. में एक कार्यकाल के लिए इसका गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में स्थायी समिति के गठन में असामान्य विलम्ब हुआ था। नमूना-जाँचित 10 में से छः शहरी स्थानीय निकायों के 131 वार्डों में वार्ड समिति गठित नहीं किए गए थे। नमूना-जाँचित चार नगर निगमों में से किसी में भी विषय समिति गठित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.2.5)

नमूना-जाँचित श.स्था.नि. के जिलों की जिला योजना समितियों द्वारा प्रारूप विकास योजना तैयार नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.2.6)

राज्य वित्त आयोगों का गठन विलंब से हुआ तथा पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी से इसका कार्यकाज बाधित हुआ। चार राज्य वित्त आयोगों में से केवल एक अपनी अनुसंशाएं प्रस्तुत कर सका।

(कंडिका 2.2.7)

दिसंबर 2021 तक उनकी अधिसूचना (अगस्त 2016 एवं सितंबर 2018 के बीच) के 39 से 64 महीनों के बाद भी सात श.स्था.नि. के लिए कार्यशील पद सृजित नहीं किए गए थे। आगे, मार्च 2021 में नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में 421 (47 प्रतिशत) रिक्त पद थे।

(कंडिका 2.2.8)

श.स्था.नि. को हस्तांतरित किए गए 18 कार्यों में से 10 कार्य पूरी तरह से श.स्था.नि. द्वारा निष्पादित किये जा रहे थे, छः कार्य आंशिक रूप से निष्पादित किये जा रहे थे जबकि शेष दो कार्यों के निष्पादन में श.स्था.नि. की कोई भूमिका नहीं थी।

(कंडिका 2.3.1)

श.स्था.नि. अपने संचालन के लिए केंद्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर थे क्योंकि उनके अपने राजस्व का हिस्सा उनके कुल प्राप्त की तुलना में कम था। 10 श.स्था.नि. में से केवल पाँच ही अपने स्थापना-व्यय को स्वयं के राजस्व से पूरा कर सके।

(कंडिका 2.4.1)

### विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

#### राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था का प्रबंधन

जून 2006 से 2020-21 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था के प्रबंधन' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से अधोलिखित अवलोकन सामने आए:

जून 2005 में शुरू की गई राँची शहर में मल एवं जल निकास परियोजना, 17 से अधिक (अगस्त 2022) वर्षों में पूरी नहीं की जा सकी और पूरा करने की समय सीमा सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक और उसके बाद जनवरी 2023 तक बढ़ा दी गई, जिससे परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य विफल हो गया। विभाग ने भी निविदा की शर्तों का उल्लंघन कर एक अनुभवहीन एवं अपात्र संवेदक को काम दे दिया, जिससे परियोजना की मुश्किलें और बढ़ गईं।

(कंडिका 3.1 एवं 3.2.3.1)

सलाहकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भुगतान की गई ₹ 16.04 करोड़ की परामर्शी लागत बेकार साबित हुई क्योंकि डीपीआर ने परियोजना के क्षेत्र-1 में इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं किया चूँकि नए संरेखण (नए अनुमानों के साथ) के निर्धारण के लिए एक नया सर्वेक्षण करना पड़ा। शेष तीन क्षेत्रों में किसी भी कार्य को लेने के लिए भी डीपीआर का उपयोग नहीं किया गया है तथा डीपीआर के अद्यतन/नए सर्वेक्षण के लिए निविदा प्रक्रियाधीन थी।

(कंडिका 3.2.1)

परियोजना के लिए राँची नगर निगम (राँ.न.नि.) की निविदा ने संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड (प्रमुख भागीदार) और मेसर्स विभोर वैभव प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम(जेवी)) हेतु पक्ष लिया। संवेदक के प्रमुख भागीदार के पास निविदा पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुभव एवं वित्तीय क्षमता नहीं थी और उसने निविदा की अर्हता प्राप्त करने के लिए जाली तथा मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

कार्य के निष्पादन के दौरान, संवेदक कार्य स्थल पर आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी उपलब्ध कराने में विफल रहा, धीमी प्रगति की तथा दो बार (सितंबर 2018 और मार्च 2019) समय विस्तार दिए जाने के बावजूद एकपक्षीय रूप से काम बंद कर दिया। परिणामतः राँ.न.नि. ने अक्टूबर 2019 में अनुबंध समाप्त कर दिया।

**(कंडिका 3.2.3.1)**

संवेदक को 5 प्रतिशत के प्रावधान के विरुद्ध 15 प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.93 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। मोबिलाइजेशन अग्रिम की ₹ 18 करोड़ की एक किश्त, बैंक गारंटी (बीजी)/अन्य दस्तावेज से सुरक्षित किए बिना प्रदान की गई। इस किश्त की बीजी संवेदक द्वारा अग्रिम भुगतान के 10 महीने बाद जमा की गई थी।

अन्य दो किश्तों की ₹ 36 करोड़ की राशि उन बीजी के एवज में दी गई जो एक ऐसी संस्था द्वारा जारी की गई थी जो बीजी जारी करने के लिए अधिकृत अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था।

**(कंडिका 3.2.3.3)**

निष्पादन चरण के दौरान राँ.न.नि. ने संवेदक को अधिक भुगतान किया। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (₹ 4.22 करोड़) के सभी घटकों के रूपांकन एवं संरेखण जमा किए बिना चरणबद्ध भुगतान का पालन किए बिना सीवेज पम्पिंग स्टेशन (₹ 75.40 लाख) के लिए एकमुश्त भुगतान एवं नाली के काम (₹ 1.98 करोड़) के मर्दों के बढ़े हुए माप के कारण किए गए थे।

वर्षा जल नालों के आंशिक निष्पादन पर ₹ 47.93 लाख का व्यय व्यर्थ था क्योंकि खंड-खंड में निर्मित नालियों के हिस्से किसी भी नाली नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं थे और ये सेप्टिक टैंकों के अपशिष्ट जल से भरे हुए पाए गए। इन नालों का निर्माण सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूपांकन के अनुमोदन के बिना शुरू किया गया था और इन्हें तब से छोड़ दिया गया था।

**(कंडिका 3.2.3.4)**



### हरमू नदी का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण

जून 2014 से मार्च 2022 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से अधोलिखित अवलोकन सामने आए:

आईआईटी, मुंबई की सलाह के बावजूद राज्य सरकार ने परियोजना की योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के दिशा-निर्देशों (जैसे, शहर स्वच्छता योजना की तैयारी, सीवेज उत्पादन की मात्रा आदि) के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं बनाई थी। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने एनआरसीपी के तहत केंद्रीय वित्त-पोषण के लिए राज्य के अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसकी राशि ₹ 55.03 करोड़ थी जिससे राज्य परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता से वंचित हो गया।

(कंडिका 4.2 एवं 4.2.1)

विभिन्न स्थानों पर हरमू नदी में समाप्त होने वाले 14 प्रमुख प्रवेशिकाओं के विरुद्ध केवल नौ प्रवेशिकाएँ सीवर नेटवर्क से जुड़ी थीं। दोषपूर्ण रूपांकन के कारण, शुष्क मौसम के दौरान भी सीवेज ले जाने वाले जुड़े प्रवेशिकाओं से प्रवाह नदी में गिरता पाया गया। शेष पाँच असंबद्ध प्रवेशिकाएँ सीधे नदी में सीवेज का निर्वहन कर रही थीं। इसके अलावा, सीवर नेटवर्क से जुड़े 56 छोटी प्रवेशिकाएँ भी नदी में सीवेज का निर्वहन कर रही थीं।

(कंडिका 4.4.1 एवं 4.5.2)

सीवरेज नेटवर्क केवल 22.15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज को चैनलाइज़ करने के लिए रूपांकित किया गया था जबकि अनुमानित सीवेज उत्पादन (वर्ष 2048) 47.12 एमएलडी था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई थी।

(कंडिका 4.5.2)

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) संहिता का उल्लंघन करते हुए परियोजना को नदी के 22.59 वर्ग किमी के कुल जलग्रहण क्षेत्र के मुकाबले 8.49 वर्ग किमी के कम जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर रूपांकित किया गया था। अतिरिक्त जलग्रहण क्षेत्र से उत्पन्न अतिरिक्त सीवेज के उपचार के लिए आवश्यक 10.5 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

(कंडिका 4.5.1 एवं 4.5.3)

11.50 एमएलडी की कुल क्षमता वाले स्वीकृत आठ एसटीपी के मुकाबले, 10 एमएलडी की कुल क्षमता वाले केवल सात एसटीपी, 10 एमएलडी की स्थापित क्षमता के बजाय प्रति दिन 2.898 एमएलडी सीवेज का संचालन एवं प्रसंस्करण कर रहे थे।

(कंडिका 4.6.2)

नदी के अनुप्रस्थ-काट को 100 साल के बजाय 25 साल की वापसी अवधि के लिए बाढ़ के निर्वहन के आधार पर अपवाह के गुणांक के कम मूल्य के साथ (15.45 मी<sup>2</sup> और 33.25 मी<sup>2</sup> के बीच) रूपांकित किया गया था। हालाँकि बाद में 50 वर्षों की वापसी अवधि के लिए बाढ़-प्रवाह के आधार पर कई अनुप्रस्थ-काट को चौड़ा किया गया (23.18 मी<sup>2</sup> और 49.43 मी<sup>2</sup> के बीच) परंतु नदी के प्रवाह-रूपांकन (मुक्तिधाम और सुवर्णरेखा नदी के साथ मिलन बिंदु के बीच) को वास्तविक प्रवाह की तुलना में कम करके आँका गया था। इसमें वास्तविक बाढ़-प्रवाह की स्थिति में नदी के संपूर्ण अनुप्रस्थ-काट को भारी क्षति का जोखिम है।

(कंडिका 4.5.4)

नदी के दोनों किनारों पर (10.4 कि.मी.) वर्षा जल निकास प्रणाली के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था। नालों को गाद, मिट्टी एवं ठोस जमा आदि से अवरुद्ध किया गया था तथा ये नाले नदी में (अमरावती पुल और एसटीपी -5 के बीच) सीवेज का निर्वहन करते हुए पाए गए थे।

(कंडिका 4.6.3)

स्वच्छ जल के साथ नदी को एक जीवंत जल संपत्ति में बदलने का परियोजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। परियोजना के पूरा होने के बाद संवेदक द्वारा किए गए पानी की गुणवत्ता के परीक्षण से संकेत मिलता है कि नदी में सीवेज का पानी बह रहा था। मेकॉन लिमिटेड के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित (अप्रैल 2022) हरमू नदी में बहने वाले पानी के गुणवत्ता परीक्षण से अन्य प्रदूषकों के बीच फ़िकल कोलीफॉर्म की उपस्थिति का पता चला।

(कंडिका 4.6.5)

परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.) गतिविधियों की सततता के उपायों की योजना नहीं बनाई गई थी। सात एसटीपी (कुल क्षमता 10 एमएलडी) के लिए सीवेज उठाने वाले पंपों के दैनिक संचालन के लिए आवंटित ₹ 6 लाख प्रति वर्ष के मुकाबले, जुडको प्रति वर्ष लगभग ₹ 33 लाख की दर से विद्युत शुल्क का व्यय कर रहा था। इसने अतिरिक्त सरकारी वित्तपोषण के बिना, परियोजना के परि. एवं अनु. को

असतत बना दिया। एनआरसीपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पित परियोजना की सततता सुनिश्चित करने के लिए परि. एवं अनु. लागतों को पूरा करने के लिए राजस्व सृजन का पता नहीं लगाया गया था तथा यह मौजूद नहीं था।

(कंडिका 4.7)

#### **झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण**

2017-18 से 2020-21 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकन सामने आए:

वार्षिक बजट की समय पर तैयारी तथा अनुमोदन के संबंध में कार्य एवं क्रय नियमावली के प्रावधानों का कंपनी द्वारा पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निधियों के जारी करने एवं उपयोग में कमी आई। इस प्रकार जेबीवीएनएल उन कार्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सका जो राज्य में विद्युत वितरण के लिए सृजित परिसम्पत्तियों का उन्नयन करते।

(कंडिका 5.7.1)

कंपनी ने निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी की तथा क्रय-प्रक्रिया में झारखण्ड क्रय नीति (झा.क्र.नी.) के प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए यह स्थानीय एमएसई को लाभ नहीं दे सकी। अकुशल डीटी तथा उच्च हानि वाले डीटी की खरीद, नामांकन के आधार पर खरीद तथा परीक्षण एवं निरीक्षण किए बिना ही एसीएसआर कंडक्टर तथा पोल के क्रय से क्रय-प्रक्रिया प्रभावित हुई।

(कंडिका 5.8)

कंपनी ने भण्डारों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक पृथक चिन्हित भण्डार सुनिश्चित नहीं किया तथा भण्डारों का वार्षिक सत्यापन नहीं किया। वस्तु-सूची के लेखांकन में त्रुटियाँ थीं तथा विघटित सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण दोषपूर्ण थे। ट्रांसफार्मर मरम्मत वर्कशॉप के कार्य भी दोषपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने ट्रांसफार्मर के तेल तथा खराब हो चुके कॉइल का वसूली मानक सिद्धान्तों के अनुरूप सुनिश्चित नहीं किया। कंपनी स्ट्रैप के निपटान तथा वस्तु-सूची के कुशल निरीक्षण एवं प्रबंधन हेतु एमआईएस विकसित करने में भी विफल रही।

(कंडिका 5.9)

पीएसएस के निर्माण कार्य अधूरे थे तथा इनके लिए क्रयित/जारी सामग्रियाँ बेकार पड़ी रहीं। कंपनी खत्म किए गए इकरारनामों से संबंधित सामग्रियों के वसूली एवं प्रयोग तथा जारी किए गए सामग्रियों का क्रियान्वित मात्रा से मिलान करने में विफल रही।

(कंडिका 5.10)

#### पृथक अवलोकन/कंडिकाएँ

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची ने संवेदक को अंतरिम भुगतान करते समय समायोजन एवं वसूली करने में इकरारनामा की शर्तों का पालन नहीं किया। सुरक्षा जमा की ₹ 3.95 करोड़ की राशि समय से पूर्व वापस कर दिया गया तथा ₹ 11.17 करोड़ की राशि की वसूली/समायोजन, कार्य पूर्ण होने के पाँच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं की जा सकी।

(कंडिका 6.1)

पहुँच पथ के लिए भूमि-अधिग्रहण किए बिना ही कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, राँची (ग्रामीण) द्वारा बुड़ू-राहे मार्ग के भोरोंगडीह नाला पर पुल का काम शुरू करने के परिणामस्वरूप निर्मित पुल छः साल से अधिक समय से बेकार पड़ा रहा जिससे ₹ 1.24 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(कंडिका 6.2)

मुख्य अभियंता, केंद्रीय रूपांकन संगठन, पथ निर्माण विभाग ने मूल आकलन में शामिल किए जाने के बावजूद प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को मंजूरी नहीं दिया। बाद में, विभागीय अभियंताओं ने संशोधित प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलंब किया, जिससे बक्सा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल-निर्माण आठ वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण रहा एवं ₹ 97.04 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

(कंडिका 6.3)